षोडश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 वृहस्पतिवार, दिनांक- 24 अ

मानतीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रा

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.10 बजे पूर्वा० तक

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा बाढ़ क कार्य-स्थगन की माँग की गयी । इस पर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी का मुद्दा उठाया गया । इस क्रम में माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार एवं माननीय मंत्री श्री नन्द किशोर यादव सदन के सुचारू संचालन की बात कही गई ।

"आसन से कहा गया कि आप एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं । सत्र के मैंने कहा था कि राज्य के 18 (अठारह) जिले एवं 1 करोड़ से अधिक की आबादी है । इस विषय पर नियम-43 के तहत विशेष चर्चा का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है । यदि आप सहम पाली के तुरत बाद कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर विशेष चर्चा का समय तय कर लिया जा सकता है । दो घंटे की विमर्श की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है ।"

किन्तु, विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए । "आस से बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी-अपनी बातों को कहने का अनुरो किया गया ।" किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लि स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 2.15 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[1] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

(i) माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव द्वारा लोक लेखा समिति का 632वें प्रतिवेदन की एक सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा राजकीय आश्वासन समिति का 249वाँ एवं 253वाँ प्रति एक-एक प्रति को सभा की मेज पर रखा गया ।

[2] **वित्तीय कार्य** :- **वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग (समाज कल्याण विभाग) पर वाद-विवाद तथा मतदान** :-

माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अनुदान की माँग पर वाद विवाद में माननीय सदस्य, श्री बशिष्ठ सिंह ने भाग लिया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

"आसन से बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहने का अनुरोध किया गया ।"

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04.55 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरान्त

(04.55 बजे अपराह्न से 5.15 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदन ने आसन ग्रहण किया ।)

समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद में सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर के दौरान असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।

तत्पश्चात् समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

शेष अनुदान की मांगों को मुखबंध (गिलोटीन) के द्वारा बारी-बारी से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[3] **विधायी कार्य** :- **राजकीय विधेयक** :-

(i) "**बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017**" :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा विधेयक पर विस्तारपूर्वक उसके बारीकियों को सदन में बताया गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[4] **निवेदन** :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-39 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 2017 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-24.08.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।